सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2014/176 दायर दिनांक 17.09.2014

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र मोहनाराम 2. दुलाराम उर्फ पुसाराम पुत्र श्री मोहनाराम 3. भोलूराम पुत्र श्री मोहनाराम समस्त जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. मघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 2. रूघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 3. सायरा उर्फ सांवरा पुत्र श्री नारायण 4. गोरधन पुत्र श्री नारायण 5. हुकमा पुत्र श्री नारायण 6. धनाराम पुत्र श्री लिछमण जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना। 7. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रेकर्ड मेंदुरूस्ती हेतु
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक **07.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी तथा प्रतिवादी स. 1. व 2. एवं दीगर खातेदारी प्रतिवादी सं. 3 से 6 सावरां गोरधन हुकमा धना की शामलाती सहखातेदारी की पैतृक कृषि भूमिंया खसरा नम्बर 149,151,155,158,161,123, कुल रकबा 171 बीघा सरहद थेबडी में अवस्थित है। कि उक्त कृि भूमि मे वादी तथा दीगर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/2 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी मघा रूघा का 1/2 हिस्सा था। कि लगभग 2 वर्ष उक्त राजस्व मुकदमा श्रीमान के न्यायालय मे लम्बित रहा तत्पश्चाव्र प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 प्रारम्भ हो गया जिसका कैम्प थेबडी मे दिनांक 02/12/2010 को आयोजित हुआ जिसमें दोनों पक्षकारों की परस्पर सहमति से व आपसी राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण हेतु उक्त बंटवारा पत्रावली पेश हुई तथा सभी पक्षकारान ने मौके पर अपनी सहमति दी व लिखित सहमति पत्र मय स्थानीय संरपच के तस्दीक के प्रस्तुत की। कि उपरोक्त लिाित सहमति के पात्र मौके पर काबिज अनुसार दिनांक 02/12/2010 को उसी शिविर मे पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी मघा रूघा को 84 बीघा 10 बिस्वा तथा वादीगण व दीगर खातेदारान सायरा, गोरधन आदि को 84 बीघा 10 बिस्वा बराबर भूमियां बंट मे दी गई। एवं खसरा नम्बर 149 मे से 7 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 151 में से 1 बीघा 13 बिस्वा कुल 2 बीघा भूमि रास्ता हेतु शामलाती खातेदारी की सुरक्षित की गई। कि खसरा नम्बर 468/151 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा दोनों पक्षकारों /खातेदारी के शामलाती होते हुये दोनों पक्षों के लिये रास्ते के प्रयोजन से रखी गई है। खसरा नम्बर 468/151,467/149 कुल रकबा 2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद संख्या–2014 / 176
दायर दिनांक 17.09.2014 निर्णय 07.06.2017
भंवरलाल बनाम मंघाराम वगैरा।

बीघा मौजा थेबडी तहसील डीडवाना के सम्बधं में रास्ता हेतु शामलाती शब्दावली जोडे जाने का वांछित संशोधन पारित फरमावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट आकोदा में पेश हुई। पक्षकारान प्रतिवादी सं0 01 उपस्थित। प्रतिवादी सं0 01 ने अवगत कराया किया इस न्यायालय के पूर्व उनवान भंवरलाल बनाम मंघाराम निर्णय दिनांक 02.12.2010 के अनुसार हम पक्षकारान का बंटवारा हो चुका है तथा इसी बंटवारे के अनुसार खसरा सं0 149 रकबा 07 बिस्वा व खसरा सं0 151 रकबा 1.13 बीघा कुल रकबा 2 बीघा सामलाती रास्ता रखा है। इसी अनुसार हम पक्षकारान का सीमाज्ञान करवाया जावें। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान के मध्य पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है। पक्षकारान को सीमाज्ञान करवाया जाना है। अतः वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 02.12.2010 के अनुसार राजस्व कर्मचारियों की टीम का गठन कर पूर्व में विभाजित हुए भूमि व रास्ते का सीमाज्ञान करवाकर पक्षकारान को अवगत करावें।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर इस न्यायालय के पूर्व उनवान भंवरलाल बनाम मंघाराम निर्णय दिनांक 02.12.2010 के अनुसार तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम का गठन कर पूर्व में विभाजित हुए भूमि व रास्ते का सीमाज्ञान करवाकर पक्षकारान को अवगत करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **07.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प आकोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014 / 176

दायर दिनांक 17.09.2014

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र मोहनाराम 2. दुलाराम उर्फ पुसाराम पुत्र श्री मोहनाराम 3. मोलूराम पुत्र श्री मोहनाराम समस्त जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. मघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 2. रुघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 3. सायरा उर्फ सांवरा पुत्र श्री नारायण 4. गोरधन पुत्र श्री नारायण 5. हुकमा पुत्र श्री नारायण 6. धनाराम पुत्र श्री लिछमण जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना। 7. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रेकर्ड मेंदुरूस्ती हेतु
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 07.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, इस न्यायालय के पूर्व उनवान भंवरलाल बनाम मंघाराम निर्णय दिनांक 02.12.2010 के अनुसार तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व कर्मचारियों की टीम का गठन कर पूर्व में विभाजित हुए भूमि व रास्ते का सीमाज्ञान करवाकर पक्षकारान को अवगत करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट आकोदा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2014/176** दायर दिनांक 17.09.2014

प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–176–2014/रीडर/2017/ 803 दिनांक 5/7/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रेकर्ड मेंदुरूस्ती हेतु
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र मोहनाराम 2. दुलाराम उर्फ पुसाराम पुत्र श्री मोहनाराम 3. भोलूराम पुत्र श्री मोहनाराम समस्त जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. मघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 2. रूघाराम पुत्र श्री गणेशाराम 3. सायरा उर्फ सांवरा पुत्र श्री नारायण 4. गोरधन पुत्र श्री नारायण 5. हुकमा पुत्र श्री नारायण 6. धनाराम पुत्र श्री लिछमण जाति बावरी निवासी थेबडी तहसील डीडवाना। 7. तहसीलदार डीडवाना।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner